राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–1317/2008/जयपुर.
2. अपील संख्या–1318/2008/जयपुर.
3. अपील संख्या–1319/2008/जयपुर.
4. अपील संख्या–1300/2010/जयपुर.
5. अपील संख्या–1301/2010/जयपुर.
6. अपील संख्या–1302/2010/जयपुर.
7. अपील संख्या – 76/2012/जयपुर.
8. अपील संख्या – 77/2012/जयपुर.
9. अपील संख्या – 78/2012/जयपुर.
10. अपील संख्या –79/2012/जयपुर.

मैसर्स शॉर्प बिजनिस सिस्टम्स (इण्डिया) लिमिटेड,
106, सनराईज, जे–54–सी, पृथ्वीराज रोड़, 'सी' स्कीम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–प्रथम/द्वितीय, जयपुर
2. उपायुक्त (अपील्स–द्वितीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

11. अपील संख्या–1441/2012/जयपुर.
12. अपील संख्या–1442/2012/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–प्रथम, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शॉर्प बिजनिस सिस्टम्स (इण्डिया) लिमिटेड,
106, सनराईज, जे–54–सी, पृथ्वीराज रोड़, 'सी' स्कीम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

13. अपील संख्या–587/2010/जयपुर.
14. अपील संख्या–588/2010/जयपुर.
15. अपील संख्या–589/2010/जयपुर.
16. अपील संख्या–590/2010/जयपुर.
17. अपील संख्या–591/2010/जयपुर.

मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लिमिटेड,
सी–185, सिंघल एरोमेटिक्स, रोड़ नं0 9, वी.के.आई., जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–द्वितीय, जयपुर
2. उपायुक्त (अपील्स)–चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी मैसर्स शॉर्प बिजनिस सिस्टम्स इण्डिया लि0 की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 की ओर से

श्री एन. के. बैद एवं श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2016

लगातार.....2

1–17. अपील संख्या–1317, 1318, 1319/08; 1300, 1301, 1302/10; 76, 77, 78, 79/12; 1441, 1442/12; 587, 588, 589, 590 व 591/2010/जयपुर.

निर्णय

1. अपील संख्या 1317/08; 1318/08; 1319/08; 1300/10; 1301/10; 1302/10; 76/12; 77/12; 78/12 व 79/12 अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स शॉर्प बिजनिस सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर द्वारा; एवं अपील संख्या 587/2010; 588/2010; 589/2010; 590/2010 व 591/2010 अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर द्वारा तथा अपील संख्या 1441/2012 व 1442/2012 अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय/चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

अपील संख्या	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी	अपीलीय अधिकारी का अपील क्रमांक	अपीलीय आदेश दि.
1	2	3	4	5
1317/08	मै. शॉर्प बिजनिस सिस्टम्स (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर	1. CTO, A/E, Zone-I/II, Jaipur 2. DC (Appeals) II, Comm. Taxes, Jaipur	35/Appeal-II/RST/Jaipur/B/2007-08	31.12.2007
1318/08			36/Appeal-II/RST/Jaipur/B/2007-08	31.12.2007
1319/08			37/Appeal-II/RST/Jaipur/B/2007-08	31.12.2007
1300/10	"		220/Appeal-II/RST/08-09/J.P.B.	24.05.2010
1301/10	"		221/Appeal-II/RST/08-09/J.P.B.	24.05.2010
1302/10	"	"	222/Appeal-II/RST/08-09/J.P.B.	24.05.2010
76/12	"	"	34/Appeal-II/RST/Jaipur/B/2007-08	26.12.2011
77/12	"	"	35/Appeal-II/RVAT/Jaipur/N/2011-12	26.12.2011
78/12	"	"	36/Appeal-II/RVAT/Jaipur/N/2011-12	26.12.2011
79/12	"	"	37/Appeal-II/RVAT/Jaipur/N/2011-12	26.12.2011
1441/12	CTO, A/E, Zone-I, Jaipur	मै. शॉर्प बिजनिस सिस्टम्स (इण्डिया)	34/Appeal-II/RVAT/Jaipur/N/2011-12	26.12.2011
1442/12			35/Appeal-II/RVAT/Jaipur/N/2011-12	26.12.2011
587/10	मै. ह्यूलैट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0, जयपुर	1. CTO, A/E, Zone-II, Jaipur 2. DC (Appeals)IV, Comm. Taxes, Jaipur	185/Appeal-IV/2008-09/E	27.01.2010
588/10			186/Appeal-IV/2008-09/E	27.01.2010
589/10			186/Appeal-IV/2008-09/E	27.01.2010
590/10	"		186/Appeal-IV/2008-09/E	27.01.2010
591/10	"		186/Appeal-IV/2008-09/E	27.01.2010

कर निर्धारण अवधि	क.नि.आ.दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
6	7	8	9	10
2005-06	10.04.2007	2,56,359	44,136	5,12,718
2006-07 (I Qtr)	10.04.2007	1,41,092	13,806	2,82,184
2006-07 (II Qtr)	10.04.2007	2,02,373	12,963	4,04,746
2006-07 (III Qtr)	12.04.2008	1,66,172	31,573	3,32,345
2006-07 (IV Qtr)	12.04.2008	5,81,980	93,117	11,63,960
2007-08 (I Qtr)	12.04.2008	3,63,832	47,298	7,27,665
2007-08 (II, III & IV Qtr)	31.03.2011	15,93,006	6,37,202	31,86,012
2008-09 (I & II Qtr)	31.03.2011	10,26,425	2,87,400	20,52,850
2007-08	29.03.2011	–	–	–
2008-09	29.03.2011	–	–	–

लगातार.....3

1–17. अपील संख्या–1317, 1318, 1319/08; 1300, 1301, 1302/10; 76, 77, 78, 79/12; 1441, 1442/12; 587, 588, 589, 590 व 591/2010/जयपुर.

6	7	8	9	10
2007-08	31.03.2011	15,93,006	6,37,202	31,86,012
2008-09	31.03.2011	10,26,425	2,87,400	20,52,850
2006-07 (IV Qtr)	04.11.2008	15,56,890	4,67,070	31,13,740
2007-08	04.11.2008	82,11,064	12,31,665	1,64,22,128
2007-08	04.11.2008	82,11,064	12,31,665	1,64,22,128
2007-08	04.11.2008	82,11,064	12,31,665	1,64,22,128
2007-08	04.11.2008	82,11,064	12,31,665	1,64,22,128

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से सभी 17 अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अपील संख्या 588/2010, 589/2010, 590/2010 व 591/2010 कर निर्धारण वर्ष 2007–08 से सम्बन्धित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण वर्ष का एक ही कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.11.2008 को पारित किया गया है, जिसमें कर रूपये 82,11,064/–, ब्याज रूपये 12,31,665/– एवं शास्ति रूपये 1,64,22,128/– का आरोपण किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी एक ही अपील संख्या 186/अपील्स–IV/2008–09/ई प्रस्तुत की गयी है, जिसका निस्तारण अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.01.2010 से किया गया है। किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष त्रैमासिक आधार पर चार अपीलें प्रस्तुत की गयी है, जो कि तकनीकी दृष्टि से अनुचित है। अतः उक्त चारों अपीलों का निस्तारण इकजाई रूप से एक ही अपील मानते हुए किया जा रहा है।

4. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्मों के सर्वेक्षण क्रमशः दिनांक 18.12.2006 व 14.02.2007 को करने पर पाया गया कि अपीलार्थी फर्मों द्वारा मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज, जिनमें प्रिंटर, स्केनर, फोटो कॉपियर एवं फैक्स के कार्य किये जाते हैं, की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट वसूल किया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–प्रथम/द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज को अधिनियम की अनुसूची–IV में अधिसूचित नहीं होने से इसे अनुसूची–IV में विहित कर दर 9/12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना मानकर 5/8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर

लगातार.....4

कर आरोपित किया गया तथा आरोपित कर राशि के अदत्त रहने के कारण धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर अपने हितार्थ 8.5 प्रतिशत की दर से कर का अपवंचन किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति भी आरोपित की गयी है, जिनका विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

5. अपील संख्या 76/2012 एवं 77/2012 से सम्बन्धित प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टीफंक्शनल डिवाईज के अतिरिक्त फैक्स मशीनों का विक्रय भी 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने फैक्स मशीन का इन्द्राज वैट अनुसूची–IV में नहीं होने के आधार पर उक्त विक्रय पर भी 8.5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

6. अपील संख्या 78/2012 एवं 79/2012 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्राथमिक आपत्ति इस बाबत दर्ज करवाई गई कि उनके द्वारा बिक्रीत मल्टीफंक्शनल डिवाईस वैट अनुसूची–IV (पार्ट–ए) की प्रविष्टि संख्या 3 एवं Facsimile Machine वैट अनुसूची–IV (पार्ट–ए) की प्रविष्टि संख्या 7 के तहत कवर्ड होने से 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्राथमिक आपत्तियों का निस्तारण संयुक्तादेश दिनांक 29.03.2011 से करते हुए अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गयी हैं।

7. अपील संख्या 587/2010 से 591/2010 से सम्बन्धित प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत मल्टीफंक्शनल डिवाईस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

8. अपील संख्या 1441/2012 एवं 1442/2012 अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त अपीलों से सम्बन्धित प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

लगातार.....5

1—17. अपील संख्या—1317, 1318, 1319/08; 1300, 1301, 1302/10; 76, 77, 78, 79/12; 1441, 1442/12; 587, 588, 589, 590 व 591/2010/जयपुर.

9. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने बहस में कथन किया कि मल्टीफंक्शनल डिवाईस पर कर दर के बिन्दु का विवाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.एस.टी.आर. नं0 24/2015 व 21/2010 क्रमशः मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड, एवं अन्य बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जयपुर व ह्यूलेट पैकर्ड इण्डिया सैल्स प्रा. लिमिटेड, एवं अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 19.02.2016 न्यायिक दृष्टान्त टैक्स अपडेट वोल्यूम 44 पार्ट 6, 2016 पृष्ठ 145** निर्णीत हो चुका है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स को वैट अधिनियम की अनुसूची—IV में 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना निर्णीत किया है। इसी प्रकार Facsimile Machine (फैक्स मशीन) टेलीफोन का पार्ट होने से वेट अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या 7 से कवर्ड होती है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होती है। अतः इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर, ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषकगण ने अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। साथ ही अपील संख्या 78/2012 एवं 79/2012 को नोट प्रेस मानते हुए निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

10. विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैरा 4 में संदर्भित निर्णय होने को स्वीकार किया तथा फैक्स मशीन पर किये गये अतिरिक्त करारोपण, ब्याज व शास्ति को विधिसम्मत बताते हुए इस बिन्दु पर कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने का कथन किया।

11. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

12. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में **'मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज एवं फैक्स मशीनों'** की बिक्री की गई है। उक्त उत्पादों की कर दर अधिसूचित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को सामान्य कर दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना माना गया है।

लगातार.....6

13. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स/डिवाईस, जिससे स्केनिंग, फोटोकॉपी, फैक्स व प्रिंटिग का कार्य किया जाता है, का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त उत्पाद को कम्प्यूटर पेरिफेरल्स की श्रेणी में नहीं मानते हुए, सामान्य दर से कर योग्य मानते हुए तदनुसार 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **44 टैक्स अपडेट पार्ट—6 पेज—145 मैसर्स कोरस (इण्डिया) लिमिटेड व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, राजस्थान—1, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2016** का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में व्यवस्था दी गयी है कि —

> "Classification of goods - Multifunctional Devices - These revision petition are about the rate of taxability on "Multifunctional Devices." These devices carry out the functions of scanning, photocopier, fax machine and as computer printer. Rajasthan Tax Board held that such multifunctional devices are not computer printers or computer peripherals, taxable @ 4% under schedule-IV of the VAT Act, but are taxable, for aforesaid period @ 12-5% / 14% in the residuary entry of schedule-V of the said Act. Rajasthan High Court Jaipur bench while allowing the revision petition of assessee held that :- Upon a detailed analysis, and with reference to various technical literature and material, the case laws in favour of the Assessees, this Court is satisfied that the commodity in question, namely, Multi Functional Device could not be taxed by the Assessing Authority under the Residuary Entry for the period 01.04.2006 to 09.03.2010, and the said commodity would fall within the ambit and scope of entry relating to computer printers and computer peripherals, taxable @4% in Schedule-IV of the VAT Act. The levy of tax in the Residuary Entry @12.5% / 14% therefore, cannot be upheld, and to that extent, the order impugned of the learned Tax Board and the authorities below deserve to be quashed and set aside. They are accordingly set aside. As far as the question of imposition of interest and penalty is concerned, this Court is also satisfied that the levy of interest would fall, since the levy of additional tax itself is quashed by the Court, and the question of imposition of penalty, therefore, would not simply arise."

लगातार.....7

14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में दी गयी व्यवस्था के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स/डिवाईस पर अनुसूची–IV के अनुसार ही कर देयता बनती है, जो कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवाई गयी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स/डिवाईस को अनुसूची–V अनुसार करयोग्य मानते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपीलें क्रमशः 1317/2008, 1318/2008, 1319/2008, 1300/2010, 1301/2010, 1302/2010, 587/2010, 588/2010, 589/2010, 590/2010, 591/2010 स्वीकार की जाती हैं।

15. अपील संख्या 76/2012 व 77/2012 मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज की बिक्री पर आरोपित अतिरिक्त कर, ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं। उक्त अपीलों से सम्बन्धित प्रकरणों में मल्टीफंक्शन डिवाईसेज के अतिरिक्त फैक्स मशीनों (Facsimile Machine) का भी 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त माल को वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 7 से कवर्ड होना बताया गया है, इस सम्बन्ध में प्रविष्ठि संख्या 7 निम्न प्रकार है :–

> "Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carriage-current line systems or for digital line systems; video phones".

उक्त प्रविष्ठि में फैक्स मशीन से सम्बन्धित कोई अंकन नहीं है, ना ही कोई ऐसा आशय निकाला जा सकता है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि फैक्स मशीन टेलीफोनिक उपकरण होने से उक्त प्रविष्ठि में शुमार होती है। उक्त प्रविष्ठि स्पष्ट रूप से टेलीफोन उपकरणों से सम्बन्धित है, जिसमें फैक्स मशीन सम्मिलित नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में यह निष्कर्षित किया जाता है कि फैक्स मशीन, वेट अधिनियम की अनुसूची–IV (पार्ट–ए) की प्रविष्टि संख्या–7 से कवर्ड नहीं होती है, अतः इस पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V अनुसार ही करदेयता बनती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज का आरोपण उचित प्रकार से किया गया है। जहां तक वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, अपीलीय

लगातार.....8

1—17. अपील संख्या—1317, 1318, 1319/08; 1300, 1301, 1302/10; 76, 77, 78, 79/12; 1441, 1442/12; 587, 588, 589, 590 व 591/2010/जयपुर.

अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य 23 वी.एस.टी. 249** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा फैक्स मशीनों पर आरोपित किये गये अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने सम्बन्धी आदेश की पुष्टि की जाती है।

16. इसी प्रकार अपीलार्थी राजस्व द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 1441/2012 व 1442/2012 माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपास्त किये जाने योग्य होने के कारण अपास्त की जाती हैं।

17. अपील संख्या 78/2012 एवं 79/2012 मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज व फैक्स मशीन (Facsimile Machine) पर कर दर के निर्धारण के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्रों से सम्बन्धित है, उक्त प्रार्थना—पत्र कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.03.2011 से अस्वीकार किये गये हैं तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलें नोट प्रेस मानते हुए निस्तारित किये जाने का कथन किया गया है, अतः उक्त दोनों अपीलें नोट प्रेस किये जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

18. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 1317/2008, 1318/2008, 1319/2008, 1300/2010, 1301/2010, 1302/2010, 587/2010, 588/2010, 589/2010, 590/2010, 591/2010 स्वीकार की जाती हैं। अपील संख्या 76/2012 व 77/2012 आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 78/2012 व 79/2012 तथा अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1441/2012 व 1442/2012 अस्वीकार की जाती हैं।

19. निर्णय सुनाया गया।

20/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष